

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VI/

Dated the _____ 2015

NOTIFICATION

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16

.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No.8 of 1997) and in partial modification of this Government's Notification Nos.F12(5)/97-Fin(G)/1406 dated the 31st December, 1999 and No. F.10(16)/Fin(T&E)2009-10/JS Fin/63 dated the 1st February, 2010 the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments which shall come into force with effect from 20th July, 2015, namely:-

- (1) In the said notification dated the 31st December, 1999 for the figure "20" the figure "40" shall be substituted.
- (2) In the said notification dated the 1st February, 2010, in paragraph (a), for figure "20" the figure "40" shall be substituted.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VII 5/6

Dated the 15/7/2015 2015

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:-

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi
5. The Addl. Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. Web site.
7. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Deputy Secretary-VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व -I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली -110002

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/डीएसएफ-VI/

दिनांक :

अधिसूचना

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/ डीएसएफ-VI/ .- दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम सं0 08) की धारा 07 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं0फा0 12(5)/97-वि0(सा0) /1406 तथा 01 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं0फा0 10(16)/वि0 (टी एंड ई)2009-10/जेएस वित्त/63 के आंशिक आशोधन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 20 जुलाई, 2015 से प्रभावी होंगे, अर्थात् :-

- (1) 31 दिसम्बर, 1999 की उक्त अधिसूचना में अंक "20" के स्थान पर अंक "40" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (2) 01 फरवरी, 2010 की उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ (क) में अंक "20" के स्थान पर अंक "40" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

(रविन्द्र कुमार)

उप- सचिव -VI (वित्त)

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16 / डीएसएफ-VI/560

दिनांक : 15/7/15

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित:-

- 1 प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
- 2 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
- 3 सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त आबकारी, एल एंड एन-ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 अतिरिक्त सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वेबसाइट।
- 7 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)

उप- सचिव -VI (वित्त)